

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59. DLB/STP/SLC-CILU/Meeting/15/2691

दिनांक: 19/2/2018

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/नविवि/3/2010पार्ट-3 दिनांक 30.05.2017 अनुसार राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन हेतु गठित दोनो समितियों की संयुक्त बैठक माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित किये जाने के आदेश जारी किये गये है। अतः उपरोक्त आदेश के क्रम में दोनो समितियों की संयुक्त बैठक माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जावेगी, तथा दोनो समितियों के सदस्य सचिव मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान होंगे। शेष दोनो समितियों के सदस्य यथावत रहेंगे।

उक्त समिति द्वारा राज्य के समस्त विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों एवं समस्त नगरीय निकायों (नगर निगम/परिषद/पालिका) के क्षेत्र में स्थित भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा।

उक्त आदेश राज्य सरकार से अनुमोदित हैं।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59. DLB/STP/SLC-CILU/Meeting/15/2692-2706

दिनांक: 19/2/2018

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
10. क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर।
11. उप नगर नियोजक, अलवर एवं भरतपुर।
12. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
13. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
14. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(आर.के. विजयवर्गीय)

अति. मुख्य नगर नियोजक